

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2002

सा.का.नि. 367.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "ख" नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "ख" (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "ख" नियम, 1977, की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1. सहायक इंजीनियर (सिविल)	123* (2001)	सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा समूह "ख"	6500-200-10500 रु०
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		
2. सहायक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी)	44* (2001)	सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा समूह "ख"	6500-200-10500 रु०
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		
चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
5	6	7	
चयन सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
चयन सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों को दजा में लागू होंगी या नहीं	परिबोधा को अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या निम्नलिखित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति

प्रोन्नति :

ऐसे अधीक्षक (भवन/सड़कें) श्रेणी-1, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण :

जहां ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के नामों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा/जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ के नाम पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते वे आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अर्हक/पात्रता सेवा या 2 वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, एवं उन्होंने अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि अपने उन कनिष्ठों, जिन्होंने, पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो ।

प्रोन्नति

प्रोन्नति :

ऐसे अधीक्षक (विद्युत एवं यांत्रिकी) श्रेणी-1, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण :

जहां ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के नामों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा/जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ के नाम पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते वे आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अर्हक/पात्रता सेवा या 2 वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, एवं उन्होंने अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि अपने उन कनिष्ठों, जिन्होंने, पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

प्रोन्नति पर विचार करने हेतु समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करता आवश्यक नहीं है ।

1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड/संयुक्त सचिव, भारत सरकार —अध्यक्ष
2. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. उप-महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य

प्रोन्नति पर विचार करने हेतु समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड/संयुक्त सचिव, भारत सरकार —अध्यक्ष
2. निदेशक/उप-सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड —सदस्य
3. उप-महानिदेशक, सीमा सड़क —सदस्य

[मिसिल संख्या सी स वि मं/01/53/1998-जीई-1]

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1555 दिनांक 20-09-1997 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

- (1) सा.का.नि. 186 दिनांक 23-1-1981 द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 14-02-1981 में प्रकाशित ।
- (2) सा.का.नि. 1281 दिनांक 03-12-1984 द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 22-12-1984 में प्रकाशित ।
- (3) सा.का.नि. 914 दिनांक 01-11-1988 द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 19-11-1988 में प्रकाशित ।

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2002

G. S. R. 367.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Border Roads Engineering Service Group 'B' Rules, 1977 namely :—

1. (i) These rules may be called the Border Roads Engineering Service Group 'B' (Amendment) Rules, 2002.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Roads Engineering Service Group 'B' Rules, 1977 the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection by Merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection
1	2	3	4	5
1. Assistant Engineer (Civil)	123* (2001)	Border Roads Engineering Service Group 'B'	6500-200-10500	Selection-cum-Seniority

*Subject to variation dependent on workload.

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification reqd. for direct recruits	Whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	11	12
2 years	Promotion	Promotion: Superintendent (Building/Roads) Grade-I with 3 years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition			Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted making rectt.	
13			14	
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
1. Secretary, Border Roads Development Board/Joint Secretary to the Govt. of India —Chairman				
2. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board—Member				
3. Deputy Director General, Border Roads —Member				
1	2	3	4	5
2. Assistant Engineer (Electrical & Mechanical)	44* (2001)	Border Roads Engineering Service Group 'B'	6500-200-10500	Selection-cum-Seniority
*Subject to variation dependent on workload.				
6	7	8	9	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
10	11	12		
2 years	Promotion	Promotion: Superintendent (Electrical & Mechanical) Grade-I with 3 years regular service in grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
13			14	
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
1. Secretary, Border Roads Development Board/Joint Secretary to the Govt. of India —Chairman				
2. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board—Member				
3. Deputy Director General, Border Roads —Member				

[F. No. BRDB/01/53/1998/GE-I]
S. K. SHARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i) as GSR 1555 dated 20-09-1997 and have been subsequently amended by :—

- (1) GSR 186 dated 23-1-1981 published in the Gazette of India on 14-02-1981.
- (2) GSR 1281 dated 03-12-1984 published in the Gazette of India on 22-12-1984.
- (3) GSR 914 dated 01-11-1988 published in the Gazette of India on 19-11-1988.